राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या 183/2008

- 1. देबी पुत्र बालू जी का मृतक के बाद से उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया:-
- 1/1. श्रीमती देबी की सुदी विधवा
- 1/2. सनवारा पुत्र देबी दोनों मामले के अनुसार जाट, निवासी फतेहगढ़ पंचायत रीट, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा।
- 1/3. रुकमा पुत्री देवी पत्नी बद्री जाति जाट निवासी लखमनियास, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा।
- 1/4. शांता पुत्री देबी पत्नी रामपाल जाति जाट, निवासी सोपुरा तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा
- 1/5. गीता पुत्री देबी पत्नी रामसुख जाति जाट, निवासी होलीरा, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा।
- 2. श्रीमती रुकमा पुत्री देबी पत्नी बद्री जाति जाट निवासी लखमनियास, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा।

----अपीलार्थी

बनाम

- 1. रामेश्वरलाल पुत्र जवाहरा जाति जाट, निवासी फहेलगढ़ पंचायत रीट, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा
- 2. भेरू पुत्र किशना जाति जाट, निवासी मंशा तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा।
- 3. कलेक्टर, भीलवाड़ा के माध्यम से राजस्थान राज्य
- 4. तहसीलदार, कोटडी, जिला भीलवाड़ा
- 5. पटवारी, रीट तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा
- 6. ग्राम पंचायत रीट, सरपंच रीट के माध्यम से, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री अरविन्द समदरिया प्रत्यर्थी की ओर से : श्री संदीप सरूपरिया

माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराना

<u>निर्णय</u>

रिपोर्टेबल

30 जनवरी, 2023

वर्तमान नियमित अपील अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 2, भीलवाड़ा द्वारा सिविल मूल संख्या 28/2007 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 27.03.2008 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विलेख बिक्री को रद्द करने की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया गया है और स्थायी व्यादेश का आदेश दिया गया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी रामेश्वर लाल और भेरू ने निम्नलिखित दलीलों के साथ एक मुकदमा दायर किया:

- (i) कि 13.16 बीघे और 14.05 बीघे की कृषि भूमि मूल रूप से केला जाट के स्वामित्व में थी जो वादी के नाना थे। केला की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले हो गई थी और उनके परिवार में उनकी पत्नी जादव और दो बेटियाँ श्रंगारी और बागती थीं। केला के तीनों वंशजों की मृत्यु हो चुकी है और केला के एकमात्र जीवित वंशज वादी रामेश्वर लाल और भेरू हैं जो क्रमशः श्रृंगारी और बागती के पुत्र हैं।
- (ii) एक बालू जाट, जो केला का भतीजा था, ने कथित तौर पर केला द्वारा गोद लिए जाने के आधार पर संबंधित भूमि की राजस्व प्रविष्टियों को अपने पक्ष में बदलवा लिया। बालू को केला ने कभी गोद नहीं लिया था और अतः, कथित गोद लेने के आधार पर बालू द्वारा की गई राजस्व प्रविष्टियाँ और नामांतरण धोखाधड़ीपूर्ण थे।
- (iii) विचाराधीन भूमि का एक हिस्सा बाद में बालू जाट के बेटे देवी द्वारा अपनी बेटी रुकमा के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से बेच दिया गया था। देवी के पास विचाराधीन भूमि पर कोई अधिकार नहीं था और अतः, वह किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं कर सकता था, क्योंकि बालू, जिसके माध्यम से देवी विचाराधीन संपत्ति पर उत्तराधिकार का दावा करता है, स्वयं उस संपत्ति का असली मालिक नहीं था। केला की मृत्यु के बाद से संपत्ति उनकी बेटियों श्रृंगारी और बागती के कब्जे में रही और बाद में वादी के कब्जे में रही।

उक्त दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थीगण को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए और इसके अलावा प्रत्यर्थी संख्या 1 देबी द्वारा रुकमा (प्रत्यर्थी संख्या 2) के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख को निष्क्रिय घोषित किया जाए।

वादी द्वारा दायर मुकदमे का लिखित बयान प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा

दायर किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि बालू को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केला द्वारा गोद लिया गया था और वह हर तरह से केला का दत्तक पुत्र था। प्रतिवादियों का यह भी बचाव था कि केला की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी जादव और बालू संपित का आधा-आधा हिस्सा पाने में सफल रहे और उसके बाद बालू, उक्त संपित के कब्जे में रहे, जो उन्हें गोद लेने के कारण उत्तराधिकार में मिली थी। अतः वादी पक्ष की पसंद के अनुसार मुकदमे को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

ट्रायल कोर्ट ने दलीलों के आधार पर दस मुद्दे तय किए।

पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, निचली अदालत ने वादी के मुकदमे पर निर्णय सुनाया और घोषणा की कि बालू या प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पास विचाराधीन संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और यह कि वादी उत्तराधिकार से संपत्ति के पात्र थे। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 12.02.2007 को वादी के स्वामित्व की सीमा तक रद्द कर दिया गया। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने के साथ-साथ विचाराधीन संपत्ति को हस्तांतरित करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया था।

दाखिल-खारिज (नामांतरण) प्रविष्टियों के साथ-साथ राजस्व रिकॉर्ड में सुधार से संबंधित अन्य राहतों के संबंध में, मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उक्त राहतों के लिए, मुकदमा सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं था।

दिनांक 27.03.2008 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान नियमित अपील दायर की गई है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद समदिरया ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने वादी के पक्ष में मुकदमे का निर्णय देकर गंभीर रूप से कानूनी गलती की है क्योंकि यह मुकदमा सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुकदमे में मांगी गई राहत विशेष रूप से राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों और कृषि भूमि के स्वामित्व से संबंधित थी।

अतः, राजस्व न्यायालय द्वारा घोषणा की डिक्री दिए जाने के बाद ही, सहायक राहत के लिए सिविल मुकदमा सिविल न्यायालय के समक्ष विचारणीय हो सकता था। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने अपने एलआर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मृतक हरदेव बनाम गोरू और अन्य [1988 (1) आरएलआर 609]; रूड़ा राम बनाम रत्त् राम [1972 आरएलडब्ल्यू 532]; मोइ राम बनाम राजस्व बोर्ड और अन्य [(2015) 3 डब्ल्यूएलएन 284] और राम कृपाल दास जी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम फूल चंद और अन्य [2012 {1} डीएनजे (राजस्थान) 531] के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा आधार यह है कि मुकदमें को विशेष रूप से परिसीमा कानून द्वारा वर्जित किया गया था क्योंकि वर्ष 1952 को अपनाने के साथ-साथ उसी अविध की राजस्व प्रविष्टियों को वर्तमान मुकदमें में चुनौती देने की मांग की गई थी जो प्रथम दृष्टया कालबाधित थे।

गोद लेने के मुद्दे पर, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गोद लेने को रिकॉर्ड पर वैध रूप से साबित किया गया था और निचली अदालत, इस मुद्दे पर दस्तावेजी और साथ ही मौखिक सबूतों को नजरअंदाज करते हुए, ऐसी सामग्री के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंची और अतः, उक्त निष्कर्ष निरस्त किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने भंवरलाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य; 2006(1) डीएनजे [राजस्थान] 486 और लाडी बनाम बद्री नारायण; 2001 डीएनजे [राजस्थान] 735 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पचास वर्षों से अधिक समय से विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा रिकॉर्ड पर साबित हुआ है और अतः, वादी अपने पक्ष में किसी भी राहत के पात्र नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वर्ष 1952 के गोद लेने को दत्तक मां (जादव) या बहन (शृंगारी) ने अपने जीवनकाल के दौरान कभी चुनौती नहीं दी थी और वर्तमान मुकदमा वर्तमान प्रतिवादीगण द्वारा बालू (दत्तक पिता) जादव (दत्तक मां) और शृंगारी (दत्तक बहन) की मृत्यु के बाद ही दायर किया गया है। इसका मतलब यह है कि, गोद लेने वाली मां के साथ-साथ पिता द्वारा भी गोद लेने को स्वीकार किया गया था और अतः, इसे

साबित करने की आवश्यकता नहीं है। निष्पादक और प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद वर्तमान मुकदमा पूरी तरह से गलत है। अपने कथन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने नंदिकशोर बनाम बृजबिहारी 1954 आरएलडब्लू 563 एवं मोती लाल बनाम सरदार मल; 1975 डब्लूएलएन 932 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप सरूपिया ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मुकदमा विशेष रूप से बिक्री विलेख को अपनाने और रद्द करने के मुद्दे से संबंधित है। दोनों मुद्दे/राहत सिविल कोर्ट के दायरे में थे और अतः, मुकदमा केवल सिविल कोर्ट के समक्ष ही रखा जा सकता था। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने हस्ती सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम संदीप चरण; 2018 आरएलडब्ल्यू (1) राजस्थान 826, दौलत खां बनाम कमला देवी (एकलपीठ सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 106/2022) दिनांक 14.12.2022 एवं गणेश राम बनाम लोटा राम एवं अन्य; 2022 0 सुपीम (राजस्थान) 665 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

जहां तक राजस्य प्रविष्टियों के संबंध में राहतों का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सबसे पहले, वही सहायक/परिणामी राहतें थीं और दूसरी बात, उक्त राहतों के संबंध में मुकदमा किसी भी तरह से न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत सही निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रत्यर्थी गोद लेने को साबित करने में बुरी तरह विफल रहे और ठोस सबूतों के आधार पर उक्त निष्कर्ष की पृष्टि की जानी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि गोद लेने के तथ्य के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य (हालांकि स्वीकृत नहीं) राजस्य प्रविष्टियाँ थीं और यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि अकेले राजस्य प्रविष्टियाँ गोद लेने के तथ्य का प्रमाण नहीं हो सकती हैं। उपरोक्त संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने बद्री बाई और अन्य बनाम राजस्थान राजस्य बोई और अन्य; 2014 23 आरसीआर (सिवी) 225 एवं जेठू सिंह बनाम भंवर सिंह एवं अन्य; 2003 (3) डीएनजे (राजस्थान) 1143 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

उठाए गए परिसीमा के आधार पर प्रतिक्रिया देते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने

प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने वादी के पक्ष में इस मुद्दे का सही निर्णय लिया है क्योंकि बिक्री विलेख, जिसे रद्द करने की प्रार्थना वर्तमान मुकदमें में की गई है, वह वर्ष 2007 का था और मुकदमा उसी वर्ष दायर किया गया है जो स्पष्ट रूप से परिसीमा अविध के भीतर है। इसके अलावा, परिसीमन हमेशा तथ्य की जानकारी की तारीख से शुरू होता है जो पार्टी के लिए कार्रवाई का कारण बनता है। रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट रूप से साबित हो चुका है कि कथित गोद लेने के आधार पर राजस्य प्रविष्टियों को अपने पक्ष में परिवर्तित कराने का तथ्य वादी पक्ष को पहली बार वर्ष 2007 में तभी पता चला था जब आक्षेपित विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था। अतः, मुकदमा विशेष रूप से परिसीमा के भीतर था और निचली अदालत ने वादी के पक्ष में उक्त मुद्दे का सही निर्णय लिया। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने श्रीमती जोगेश्वरी प्रधान बनाम राजिया @ राजेंद्र प्रधान; 2015(2) क्यूआरसीसी 146 और वीरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम काशीराम (मृतक) एलआर के माध्यम से; एआईआर 2004 राजस्थान 196 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, दस्तावेज़ी के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया।

पक्षों द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर, क्षेत्राधिकार के संबंध में मुद्दा संख्या 6 को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नानुसार तैयार किया गया था:

"आया प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का नहीं होकर राजस्व न्यायालय का है...?"

ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मुकदमा विशेष रूप से एक घोषणा के लिए था कि बालू केला का दत्तक पुत्र नहीं था और अतः, केला की संपत्ति में किसी भी अधिकार का पात्र नहीं था, जो राहत, विशेष रूप से एक सिविल के क्षेत्र में थी। केवल न्यायालय अन्य राहतों के अलावा, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के संबंध में राहतें राजस्व न्यायालयों के क्षेत्र में थीं और अतः, उक्त मुद्दे को आंशिक रूप से प्रत्यर्थींगण के पक्ष में और आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय किया गया।

वर्तमान मुकदमे में प्रार्थना की गई राहतें (का) और (खा) इस प्रकार हैं:

"(क) वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा की डिक्री प्रदान फरमाई जावे कि 'बालु पुत्र कालु जाट स्वर्गीय केला पुत्र चमना जाट निवासी फतेहगढ़ का गोद पुत्र नहीं था और केला का गोद पुत्र बनकर केला की सम्पत्ति में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार नहीं रखता है। इसके पश्चात् इन आधारों पर देवी व रूकमा का भी कोई हक व अधिकार नहीं होता है।

(ख) वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रदान फरमाई जावे कि प्रतिवादी देवी पुत्र बालु द्वारा अपनी ही पुत्री श्रीमित रूकमा पत्नी बद्री जाट निवासी लख्मणियास के पक्ष में दिनांक 12.02.2007 बारह फरवरी दो हजार सात को गांव रीठ की कृषि आराजी संख्या 18, 19, 22 किता 3 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा व आराजी संख्या 20 रकबा 4 बिस्वा आ.चा. के संबंध में किया गया विक्रय विलेख अवैध, शून्य और अकृत है तथा निरस्त फरमाया जावे एवं इस विक्रय दस्तावेज की आड़ में राजस्व अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित बयान में पैरा संख्या 27 और 30 में की

"27- यह है कि बालू, केला का गोदपुत्र था, केला व उसकी प्रति ने विधिवत रूप से बालू को गोद लिया था। व बालू के माता-पिता ने दिया था। इसी कारण राजस्व रेकार्ड में बालू के नाम आराजियात् दर्ज हुई।

٠.	•	 • •	•	• •	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	 •	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•

गई दलीलें इस प्रकार हैं:

30- यह है कि केला की मृत्यु लगभग 60 साल पूर्व हो चुकी थी व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रियां श्रंगारी व बगती को कोई अधिकार केला की सम्पत्ति में नहीं मिलता है व केला की सम्पत्ति जो बालू में वेस्ट हो गई वह बालू के पुत्र को ही उत्तराधिकार से ही प्रतिवादी सं. 01 को मिली है। वादीगण व उसकी माताओं का कोई अधिकार बालू के नाम पर अंकित भूमियों पर नहीं है। जब बगती व श्रंगारी का ही अधिकार नहीं है तो वादीगण को कैसे मिल सकता है यह तथ्य काबिल-ए-गौर है।

उपरोक्त दलीलों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान मुकदमा मुख्य रूप से गोद लेने की घोषणा के साथ-साथ बिक्री विलेख को निरस्त घोषित करने की राहत के लिए है। जैसा कि कानून का तय प्रस्ताव है, उक्त राहतें केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती हैं और किसी भी राजस्व न्यायालय के पास उपरोक्त राहतें देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। जाहिर तौर पर गोद लेने और विक्रय पत्र को निरस्त घोषित किए बिना, यह घोषित नहीं किया जा सकता है कि उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रत्यर्थींगण के पक्ष में की गई राजस्व प्रविष्टियां अवैध या अपास्त थीं। राजस्व प्रविष्टियाँ प्रश्लगत गोद लेने के आधार पर की गई थीं और अतः, गोद लेने को निरस्त घोषित किए बिना, वादी चुनौती नहीं दे सकते थे और उक्त राजस्व प्रविष्टियों के संबंध में अपने पक्ष में राहत प्राप्त नहीं कर सकते थे।

जहां तक अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का प्रश्न है, वे सभी उन मामलों से संबंधित हैं जिनमें प्राथमिक/मुख्य राहत राजस्व प्रविष्टियों या कृषि भूमि के संबंध में थी। रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, प्राथमिक राहत गोद लेने की घोषणा के साथ-साथ बिक्री विलेख को निरस्त घोषित करने के लिए है और अतः, अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होंगे। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राहत के लिए वर्तमान मुकदमा केवल सिविल कोर्ट के समक्ष ही रखा जा सकता था और मुद्दा संख्या 6 पर विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और अतः, इसकी पृष्टि की जाती है।

जहां तक परिसीमा के आधार का प्रश्न है, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि परिसीमा के संबंध में निचली अदालत द्वारा कोई मुद्दा तय नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब उसी आपित को प्रत्यर्थीगण ने अपने लिखित बयान में बहुत अच्छी तरह से उठाया था, तो उसी के संबंध में मुद्दा न्यायालय द्वारा तय किया जाना चाहिए था और उक्त मुद्दे का गैर-निर्धारण ही पर्याप्त है। वर्तमान निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाए और मामले को निचली अदालत में भेज दिया जाए।

यह सच है कि परिसीमा के संबंध में मुद्दा/आपित किसी भी स्तर पर उठाई जा सकती है और अतः, यह न्यायालय अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपित पर आगे विचार किया है।

मुकदमे के कालबाधित होने के संबंध में लिखित बयान के पैरा संख्या 22 में प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई दलीलें इस प्रकार हैं:

यह कि वादपत्र की कलम सं. 22 कर्ताई गलत होकर स्वीकार नहीं है। दावा जाहिरा तौर मयाद बाहर है विक्रयपत्र से कोई मियाद नहीं मिलती है। वादीगण को पूर्व से ही बालू के नाम आराजियात् होने व देबी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में होने की की पूर्ण जानकारी थी व कब्जा भी बालू व देबी का लगातार चला आ रहाथा व श्रंगारी की मृत्यु के बाद अपने नाम श्रंगारी की आराजियात का इन्तकाल खुलवाया था, फिर वादीगण को जानकारी कैसे नहीं थी, यह तथ्य काबिल-ए-गौर है दावा मियाद बाहर है।"

उपरोक्त दलीलों पर गौर करने से पता चलता है कि प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि राजस्व प्रविष्टियाँ शृंगारी की मृत्यु के तुरंत बाद की गई थीं और उक्त तथ्य तब से वादी की जानकारी में था। सबसे पहले, उक्त दलील को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि वादी को उक्त प्रविष्टियों के बारे में पता था। दूसरे, राजस्व प्रविष्टियों के संबंध में राहत को निचली अदालत द्वारा कायम रखने योग्य नहीं माना गया है और अदालत ने विशेष रूप से वादी के खिलाफ उक्त राहत के मुद्दे पर निर्णय लिया है। अतः, जब जिस राहत के लिए प्रार्थना की गई थी, उस पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो परिसीमा कानून द्वारा वर्जित होने के बावजूद उक्त राहत का कोई परिणाम नहीं होगा। माना जाता है कि, विचाराधीन विक्रय विलेख वर्ष 2007 में निष्पादित किया गया था और उसी वर्ष इसे रद्द करने के लिए मुकदमा दायर

किया गया था। वर्तमान मुकदमे में प्रार्थना की गई प्राथमिक राहत बिक्री विलेख को रद्द करना था और निचली अदालत ने भी उक्त राहत पर निर्णय सुनाया है, अतः अदालत द्वारा तय की गई राहत के लिए मुकदमा समय के भीतर है, अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपित इसके द्वारा अपीलार्थीगण को खारिज किया जाता है।

निचली अदालत द्वारा तय किया गया मुद्दा संख्या 7 धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस की सेवा से संबंधित है:

"आया धारा 80 सिप्रस का नोटिस वादीगण द्वारा नहीं दिया गया है यदि हां तो इसका वाद पर क्या असर है...?

इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त मुद्दे पर कोई तर्क नहीं दिया गया है, हालांकि, इस मुद्दे पर निष्कर्ष में अन्यथा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस सरकार/सार्वजनिक प्राधिकारी को दिया जाना आवश्यक है, केवल तभी जब उक्त प्राधिकारी के विरुद्ध राहत का दावा किया गया हो। माना जाता है कि, वर्तमान मुकदमे में प्रत्यर्थी संख्या 4,5 और 6 औपचारिक पक्ष थे और उनके लिए किसी विशेष राहत की प्रार्थना नहीं की गई थी। अतः, उक्त मुद्दे का निर्णय निचली अदालत द्वारा वादी के पक्ष में उचित रूप से किया गया है।

मुकदमे के मूल्यांकन और उस पर भुगतान की गई कोर्ट फीस से संबंधित मुद्दा संख्या 9 को न्यायालय द्वारा निम्नानुसार तैयार किया गया है:

(9) आया वाद का मूल्यांकन सही नहीं है तथा अदा किया गया न्यायश्ल्क अपर्याप्त है...?

उक्त मुद्दे के निष्कर्ष को वर्तमान अपील में चुनौती नहीं दी गई है और अतः, इस न्यायालय को उक्त मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और अतः, उसके निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

बालू को गोद लेने के मुख्य मुद्दे के संबंध में मुद्दा संख्या 1 को नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा निम्नानुसार तैयार किया गया है:

"(1) आया स्व. बालु जाट केला जी का गोदपुत्र नहीं था?"

उक्त मुद्दे पर निर्णय लेते समय निचली अदालत ने विशेष रूप से डीडब्ल्यू-

2 नारायण लाल के साथ-साथ डीडब्ल्यू-3 भेरू के साक्ष्यों पर विचार किया है, दोनों की उम्र 65 वर्ष से अधिक थी। निचली अदालत विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन दोनों गवाहों ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि वे गोद लेने की तारीख और वर्ष से पूरी तरह अनजान थे। इसके अलावा, इन गवाहों द्वारा सुझाए गए गोद लेने का अस्थायी समय/वर्ष प्रत्यर्थींगण की दलीलों से मेल नहीं खाता था और अत:, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रत्यर्थीं गोद लेने के तथ्य को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहे।

डीडब्ल्यू-2 नारायण लाल ने अपनी जिरह में विशेष रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया:

मेरे केला जी जाति का भाई बंध है। केला का निधन हुए 50-60 साल हो गये है। उस समय में मैं छोटा था पूरा याद नहीं हैं। कालु कब मरा यह मुझे पता नहीं है वो मेरे जन्म से पहले ही मर गये थे। कालु की पत्नी का नाम मझे ध्यान नहीं है केला जी मृत्यु के समय मेरी आयु 15-20 साल की थी। बालु को केला जी ने मेरे जन्म से पहले ही गोद ले लिया था। इसलिये मैं नहीं बता सकता कि कब, कहां किसके सामने, गोद लिया और गोद की क्या क्या रिति रीवाज और रश्म हुई, किसने गोद लिया। डीडब्ल्यू-3 भेरू ने अपनी जिरह में इस प्रकार कहा:

जड़ाव पित केला को मैं नहीं जानता हूं न ही मैंने उनको देखा। केला की पित्री जड़ाव का निधन मेरे जन्म से पहले ही हो गया था। केला जी ने बालु को कब गोद लिया व कहा गोद लिया इसका मुझे पता नहीं। गोद देने व लेने में कौन-2 था इसका मुझे पता नहीं है। बालु के असली बाप का नाम कालू है व मां का नाम मैं नहीं जानता। बालु के नैसर्गिक माता पिता कब मरे इसका मुझे पता नहीं है। बालु के माता पिता ने गोद दिया यह मैंने नहीं देखा है।

प्रत्यर्थी गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का केवल अवलोकन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि गोद लेने के तथ्य को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था।

अब मोती लाल के मामले में निर्णय पर आते हैं, जिस पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस दलील के साथ भरोसा किया था कि पुराने गोद लेने के मामले में, गोद लेने की वैधता के पक्ष में धारणा बनाई जानी चाहिए।

मोती लाल मामले (सुप्रा.) में, इसे इस प्रकार रखा गया है:

"8. कई मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि लंबे वर्षों के अंतराल के बाद, यह संभावना है कि गोद लेने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और किसी ऐसे गवाह को ढूंढना मुश्किल हो सकता है जिसने वास्तविक गोद लेने और गोद देने के समारोह का प्रत्यक्षदर्शी देखा हो, ऐसे मामलों में यदि गोद लेने का आरोप लगाने वाला पक्ष गोद लेने और के तथ्य के कुछ सबूत पेश करता है, तो यह साबित करने के लिए बोझ को दूसरी तरफ स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है कि गोद लेना नहीं हुआ था। ऐसे मामलों में पुराने दत्तक ग्रहण में, दत्तक ग्रहण की वैधता के पक्ष में एक धारणा स्वाभाविक रूप से दत्तक परिवार में दत्तक पुत्र की स्थित और कई वर्षों तक परिवार के सदस्यों द्वारा इसकी मान्यता से ली जाती है।"

उक्त अनुपात स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मामले में, यह विशेष रूप से रिकॉर्ड पर साबित हुआ है कि कथित गोद लेने के बाद भी, बालू ने खुद का प्रतिनिधित्व किया और उसे केवल कालू (प्राकृतिक पिता) के पुत्र बालू के रूप में मान्यता दी गई। बालू को कालू का बेटा दिखाने वाले दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड में रखा गया है और यहां तक कि निचली अदालत द्वारा भी उन पर विचार किया गया है। वर्ष 1962-65 की राजस्व प्रविष्टियाँ, संवत 2046 की जमाबंदी (प्रदर्श-19) और पिछले वर्षों की दाखिल-खारिज की प्रविष्टियाँ (प्रदर्श-20) में बालू को कालू का ही पुत्र दिखाया गया। यहां तक कि वर्ष 1990 से संबंधित पंचायत की रसीद (प्रदर्श-21), शिक्षा उपकर की रसीद (प्रदर्श-22) और वर्ष 1980 की मतदाता सूची (प्रदर्श-23) में भी बालू को कालू का पुत्र बताया गया है। उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों पर विचार करते हुए, निचली अदालत एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंची कि गोद लेने का तथ्य पूरी तरह से गलत साबित हुआ है।

नंद किशोर के मामले (सुप्रा.) में, यह माना गया है कि पुराने गोद लेने के मामले में तथ्य का अनुमान मामले की परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में हालांकि केला को गोद देने का आरोप लगाया गया है, बालू को कालू के बेटे के रूप में मान्यता दी गई है और अतः, कथित गोद लेने को रिकॉर्ड पर साबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 1965 की पहली प्रविष्टियाँ बालू के केला के भतीजे होने के आधार पर की गई हैं। उक्त प्रविष्टि में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि केला

की मृत्यु हो गई है और उसने अपने पीछे कोई अन्य कानूनी प्रतिनिधि नहीं छोड़ा है और अतः, उसके स्थान पर बालू का नाम बदल दिया गया है। यदि उन्हें वर्ष 1952 में गोद लिया गया होता, तो वर्ष 1955 की राजस्व प्रविष्टियों में बालू को केला का भतीजा होने का उल्लेख नहीं होता। माना जाता है कि, बालू के पक्ष में एक राजस्व प्रविष्टि के अलावा, गोद लेने के तथ्य को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जैसा कि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया, भले ही बालू के कालू के दत्तक पुत्र होने के पक्ष में राजस्व/उत्परिवर्तन प्रविष्टि को सत्य माना जाता है, लेकिन इसे गोद लेने के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

बद्री बाई के मामले (सुप्रा.) में, इसे इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निम्नानुसार माना गया है:

"अकेले दाखिल-खारिज खोलने से गोद लेने की पुष्टि नहीं हो सकती है। यह तब और अधिक है जब अपीलार्थी द्वारा मूल राजस्व न्यायालय की संतुष्टि के लिए कोई गोद लेने का दस्तावेज या इसके लिए कोई सबूत राजस्व बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।"

इसके अलावा जेठू सिंह के मामले (सुप्रा.) में, इसे इस प्रकार रखा गया है:

"12. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विषय पर कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि दाखिल-खारिज जैसी राजकोषीय प्रविष्टियाँ संपत्ति के किसी भी हक या हित का प्रतिनिधित्व या निर्माण नहीं करती हैं, न ही वसीयत या गोद लेने के माध्यम से उत्तराधिकार का जटिल मुद्दा दाखिल-खारिज कार्यवाही में निपटाया जाएगा और पार्टियों को स्वामित्व के निर्णय के लिए उचित मंच से संपर्क करना होगा।"

निर्णायक रूप से, विशिष्ट दस्तावेजी के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, गोद लेने की प्रक्रिया कभी नहीं हुई और अतः, नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष पूरी तरह से साक्ष्य के अनुरूप हैं। अतः, वाद संख्या 1 पर वादी के पक्ष में निष्कर्ष/निर्णय की पुष्टि की जाती है।

निचली अदालत द्वारा मुद्दे संख्या 2 और 3 को निम्नानुसार तैयार किया गया था:

(2) आया वादपत्र की चरण सं. 2क-व ख में वर्णित अचल संपत्ति के वादीगण अकेले उत्तराधिकारी है और इस संपत्ति में स्व. बालु जी व उसके पश्चात उनके पुत्र देवी का कोई हक व हिस्सा नहीं है? (3) आया वादपत्र की चरण सं. 4 व 11 में वर्णित आधारों पर प्रतिवादी क्रम 1 देवी द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 रूकमा के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र केला जी की संपत्ति की सीमा तक निरस्त होने योग्य है?

तय किए गए मुद्दों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका निर्णय पूरी तरह से मुद्दे संख्या 1 के निर्णय पर निर्भर था। जहां तक मुद्दे संख्या 1 का प्रश्न है, इस न्यायालय ने विशेष रूप से राय दी है कि निचली अदालत द्वारा वादी के पक्ष में सही निर्णय लिया गया है। अतः, मुद्दे संख्या 1 पर इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि बालू केला का दत्तक पुत्र नहीं था, बालू या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को केला की संपत्तियों में कोई हिस्सा पाने का पात्र नहीं ठहराया जा सकता है। नतीजतन, वादी को केला की संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी माना गया जैसा कि वादी के पैरा संख्या 2 में उल्लिखित है। परिणामस्चरूप, डेबी (प्रत्यर्थी संख्या 1) द्वारा रुक्मा (प्रत्यर्थी संख्या 2) के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख को भी वैध नहीं माना जा सका और अतः वादी के पक्ष में डिक्री के अनुसार इसे रद्द करने में निचली अदालत पूरी तरह से कानून के अनुरूप है।

मद्दा संख्या 4 को निम्नानुसार तैयार किया गया था:

(4) आया केला जी की संपत्ति के संबंध में बालु जी तथा उसके पश्चात् देवी व रूकमा आदि के पक्ष में जो नामान्तरण हुआ है वह निरस्त होने योग्य था?

राजस्व प्रविष्टियों से संबंधित उक्त मुद्दे का निर्णय निचली अदालत द्वारा वादी के खिलाफ इस आधार पर किया गया है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था और यह सही भी है। इस मुद्दे के संबंध में वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई प्रति-आपित दायर नहीं की गई है और अतः, इस पर दिया गया निष्कर्ष चुनौती के अधीन नहीं है, अतः यह किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

मुद्दा संख्या 5, जैसा कि तैयार किया गया है, इस प्रकार है:

(5) आया वादग्रस्त जायदाद पर वादीगण का कब्जा है तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 इसमें हस्तक्षेप करने पर आमादा है और संपत्ति को अन्यत्र अंतरित करने पर आमादा है और इस बाबत वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-1 रामेश्वर लाल, पीडब्लू-2 देवा और पीडब्लू-3

देवीलाल के बयानों के आधार पर वादी पक्ष के पक्ष में उक्त मुद्दे का निर्णय किया है, जिन्होंने विशेष रूप से कहा था कि भूमि वादी के कब्जे में थी। अदालत ने प्रत्यर्थींगण के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है क्योंकि उनकी विशिष्ट दलील/स्वीकारोक्ति के बावजूद कि डेबी नियमित किराया (लगान) का भुगतान कर रहा था और उसके पास इसकी रसीदें हैं, उन्हें रिकॉर्ड पर रखने में विफल रहा। इस न्यायालय की राय में, ट्रायल कोर्ट द्वारा पहुंचा गया निष्कर्ष पूरी तरह से कानून के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें किसी पक्ष के खिलाफ उसके कब्जे में स्वीकार किए गए दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतीकरण के अनुमान के बारे में प्रतिकूल निष्कर्ष के बारे में बताया गया है। परिणामस्वरूप, उक्त मुद्दे पर वादी पक्ष के पक्ष में निर्णय भी मान्य है और एतद्द्वारा इसकी पृष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप, उपरोक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर, वर्तमान अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है। अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 2, भीलवाड़ा द्वारा सिविल मूल प्रकरण संख्या 28/07 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2008 की पुष्टि की जाती है। लागत के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

(रेखा बोराना), न्यायमूर्ति

Sachin/Vij/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।